भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 168
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत मंजूर की गई छात्रवृत्ति

168. श्री सुनील कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पश्चिमी चंपारण जिले के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020 से अब तक सरकार की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (सीएसएसएस) के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना का स्वरूप क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि वितरित की गई;
(घ) क्या उक्त छात्रवृत्ति के संवितरण में कोई विलंब या अनियमितता देखी गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा समय पर धनराशि जारी करने और छात्रवृत्ति के लिए अस्वीकृति के मामलों को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): सरकार सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति योजना लागू कर रही है, जो मौजूदा योजना दिशानिर्देश के तहत है। उच्चतर शिक्षा विभाग, कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पीएम-यूएसपी केंद्रीय सेक्टर स्कीम (पीएम-यूएसपी सीएसएसएस) लागू कर रहा है। वर्ष 2020 से, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के 7295 छात्रों को पीएम-यूएसपी सीएसएसएस छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ हुआ है।

पीएम-यूएसपी सीएसएसएस के तहत योग्य और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वे छात्र जो कक्षा XII में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20वें प्रतिशत में हैं और जिनके परिवार की आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपए तक है, आवेदन करने के पात्र हैं। एक वर्ष में 82,000 नए छात्रवृत्ति स्लॉट उपलब्ध हैं। इन्हें राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच 18-25 वर्ष के आयु वर्ग की राज्य की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। 50% छात्रवृत्ति स्लॉट छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना के तहत केंद्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है, अर्थात, अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 12,000/- रुपये प्रति वर्ष तथा चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 20,000/- रुपये प्रति वर्ष है। छात्रवृत्ति राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में संवितरित की जाती है।

*****